उत्तरदायित्व व्यवस्था की समीक्षा के लिए विचारणीय विषय
एशियाई विकास बैंक

1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 1995 में परियोजना के लाभार्थियों को एडीबी सहायता प्रदत्त परियोजनाओं में एडीबी की प्रचालनात्मक नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों के लिए एक स्वतंत्र निकाय को अपील करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए निरीक्षण कार्य की स्थापना की थी।[1] व्यापक समीक्षा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए एडीबी ने निरीक्षण कार्य को आगे बढ़ाते हुए 2003 में वर्तमान उत्तरदायित्व व्यवस्था[2] का शुभारंभ किया। उत्तरदायित्व व्यवस्था एडीबी की विकास प्रभावशीलता तथा परियोजना गुणवत्ता में वृद्धि करने; परियोजना प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने; सभी स्टेकहोल्डर्स के प्रति निष्पक्षता बरतने; स्टाफ तथा कार्यों में उच्चतम व्यावसायिक तथा तकनीकी मानकों को दर्शाने; यथासंभव स्वतंत्र और पारदर्शी बनने; और अन्य निरीक्षण के पूरक, ऑडिट, गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यांकन प्रणाली के मामले में किफायती, कारगर और अनुकूल बनने के लिए रूप रेखा बनाई गई थी। उत्तरदायित्व व्यवस्था को 12 दिसम्बर, 2003 को लागू किया गया था। ताशकंद में 1 से 4 मई, 2010 तक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 43वीं वार्षिक बैठक में एडीबी के अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि एडीबी अपने उत्तरदायित्व व्यवस्था की संयुक्त बोर्ड प्रबंधन समीक्षा करेगा। इस प्रयोजन के लिए एक संयुक्त बोर्ड तथा प्रबंधन कार्यसमूह की स्थापना की गई है।

2. समीक्षा का उद्देश्य उत्तरदायित्व व्यवस्था में सुधारों की संभावना की जांच करना होगा। यह समीक्षा व्यापक होगी और इसमें अन्यों के साथ–साथ निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा :

1) उत्तरदायित्व व्यवस्था के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उद्देश्यों तथा 2003 में संकल्पित उत्तरदायित्व व्यवस्था नीति के अनुसार निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में उत्तरदायित्व व्यवस्था की प्रभावशीलता और समुचितता का विश्लेषण।
2) 2003 से उत्तरदायित्व व्यवस्था के साथ एडीबी के अनुभव का मूल्यांकन, एडीबी के कार्यों, विशेष रूप से रणनीति 2020 को अपनाना, के बदलते संदर्भ को दर्शाना।
3) एडीबी की उत्तरदायित्व व्यवस्था की अन्य प्रासंगिक प्रतिपक्षों के साथ तुलना और विश्लेषण।
4) जनसाधारण, परियोजना प्रभावित लोगों, एडीबी के बोर्ड सदस्यों, प्रबंधन, प्रचालन स्टाफ, गैर सरकारी तथा सिविल समाज संगठनों सहित स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श।
5) विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन और परामर्श के फलस्वरूप पैदा होने वाले प्रमुख मुद्दों का समाधान।
6) उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर नीतियों में परिवर्तन और उत्तरदायित्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा प्रचालन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सिफारिशें करना।

3. समीक्षा में सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया सम्मिलित होगी। परामर्श में तीन चरण होंगे। पहला चरण वर्तमान उत्तरदायित्व व्यवस्था पर एडीबी की वेबसाइट के माध्यम से जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करना होगा। दूसरा चरण विकसित और विकासशील सदस्य देशों में कंट्री परामर्श होगा। प्रस्तावित स्थान हैं वाशिंगटन डीसी, फ्रैंकफर्ट, टोकिया, जकार्ता, इस्लामाबाद और मनीला। परामर्श में सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र तथा जहां संभव हो, परियोजना के लाभार्थियों और प्रभावित लोगों को शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण में कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर एडीबी की वेबसाइट के माध्यम से जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके लिए उत्तरदायित्व व्यवस्था समीक्षा के लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है।

4. समीक्षा अप्रैल, 2010 से अप्रैल, 20011 तक होने की संभावना है। समीक्षा की समय–सारणी परिशिष्ट 1 में दर्शाई गई है।

---

[1] *एस्टेब्लिसमेंट ऑफ एन इन्स्पैक्शन फंक्शन. एडीबी. 1995. मनीला.*

[2] *रिव्यू आफ इन्स्पैक्शन फंक्शन : एस्टेब्लिसमेंट आफ ए न्यू एकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्यम. एडीबी 2003. मनीला ("द ए.एम. पॉलिसी")*

परिशिष्ट 1

उत्तरदायित्व व्यवस्था की समीक्षा के लिए प्रस्तावित समय–सारणी

(आवश्यकता के अनुसार अद्यतन किया जाएगा)

2010	
अप्रैल	संयुक्त बोर्ड प्रबंधन कार्य दल की स्थापना
मई	विचारणीय विषयों का प्रारूप बोर्ड को परिचालित किया गया
जून	विचारणीय विषयों को अंतिम रूप दिया गया
जुलाई	बाह्य विशेषज्ञों की नियुक्ति
जून–सितम्बर	12 सप्ताहों तक एडीबी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई मौजूदा नीति पर टिप्पणियां आमंत्रित; तथा लिखित टिप्पणियां प्राप्त की गईं
जुलाई–नवम्बर	स्टेकहोल्डर्स के साथ देशीय परामर्श
दिसम्बर	8 सप्ताह तक एडीबी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई वर्तमान नीति पर टिप्पणियां आमंत्रित; तथा लिखित टिप्पणियां प्राप्त की गईं
2011	
मार्च	संशोधित उत्तरदायित्व व्यवस्था नीति के प्रारूप की आंतरिक समीक्षा
अप्रैल	बोर्ड द्वारा संशोधित नीति का अनुमोदन और जारी करना